न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 39/2024

अनवान : —

1. सोनू पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री छोटूराम पत्नी दिनेश कुमार जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी डाबड़ी त0 भादरा।
3. सरिता कुमारी पुत्री छोटूराम पत्नी सुनील जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी गिगोरानी त0 व जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. राजबाला पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेश बंसल **वादी**
श्री नरेश सुथार प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं0 42/37 के मु0न0 8 के किला न0 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 मु0न0 9 के किला न0 18/3, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु0न0 29 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 की कुल 2.1120है0 जिसमें 2.0230है0 नहरी एवं 0.0390है0 गै0मु0 रास्ता 0.0500है0 गै0मु0 खाला प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3, 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:18 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible]ने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा [illegible] स्वीकार किये जाने का है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्यवादी में वादी सोनू द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्तमान जमाबंदी वाद भूमि प्रदर्श 1 पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2 चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 3–4 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं0 42/37 के मु0न0 8 के किला न0 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 मु0न0 9 के किला न0 18/3, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु0न0 29 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 की कुल 2.1120है0 जिसमें 2.0230है0 नहरी एवं 0.0390है0 गै0मु0 रास्ता 0.0500है0 गै0मु0 खाला प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 3 ने वाद भूमि से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रदर्श 5 के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं0 42/37 के मु0न0 8 के किला न0 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 मु0न0 9 के किला न0 18/3, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु0न0 29 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 की कुल 2.1120है0 जिसमें 2.0230है0 नहरी एवं 0.0390है0 गै0मु0 रास्ता 0.0500है0 गै0मु0 खाला प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम की बजाए वादी सोनू तथा प्रतिवादी स0 1 छोटूराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। जमाबंदी में दर्ज वाद भूमि यथा गै0मु0 खाला ,नाला व भूमि किस्म को यथावत् पढ़ा जावे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-08-24 द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:18 IST
Reason: SelfAttested

22-08-24
(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 39/2024

अनवान : –

1. सोनू पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री छोटूराम पत्नी दिनेश कुमार जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी डाबड़ी त0 भादरा।
3. सरिता कुमारी पुत्री छोटूराम पत्नी सुनील जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी गिगोरानी त0 व जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. राजबाला पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल व वकील प्रतिवादीगण श्री नरेश सुथार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं0 42/37 के मु0न0 8 के किला न0 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 मु0न0 9 के किला न0 18/3, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु0न0 29 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 की कुल 2.1120है0 जिसमें 2.0230है0 नहरी एवं 0.0390है0 गै0मु0 रास्ता 0.0500है0 गै0मु0 खाला प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम की बजाए वादी सोनू तथा प्रतिवादी स0 1 छोटूराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। जमाबंदी में दर्ज वाद भूमि यथा गै0मु0 खाला नाला को यथावत् पढ़ा जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:18 IST
Reason: SelfAttested

22-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner